



2026:AHC:171943

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 23113/2026

रघुनाथ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गिरिजेश तिवारी

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 36

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरिजेश तिवारी एवं राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रवींद्र कुमार त्रिपाठी को सुना।
2. याचिकाकर्ता एक निवर्तमान प्रधान है। दिनांक 05.04.2025 की एक शिकायत के आधार पर, उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(जी) के अंतर्गत एक जांच प्रारंभ की गई थी और प्रथम नोटिस दिनांक 08.04.2025 को जारी किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिया था तथा एक अनुपूरक उत्तर भी दिनांक 05.12.2025 को दाखिल किया गया था और याचिकाकर्ता के अनुसार, एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी।
3. इस प्रक्रम पर, याचिकाकर्ता ने रिट-सी संख्या 410/2026 योजित करके इस न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें आदेश दिनांक 18.12.2025 के प्रभाव और प्रचालन को स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था और आगे यह निर्देशित किया गया था कि औपचारिक जांच जारी रहेगी तथा शीघ्रता से पूर्ण की जाएगी।
4. इस न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में, अंतिम जांच संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2025 के माध्यम से एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।
5. तत्पश्चात, एक जांच रिपोर्ट दिनांक 25.03.2026 जिलाधिकारी को सौंपी गई और बाद में याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध संचालित जांच के अनुक्रम में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2026 जारी किया गया। तदन्तर, याचिकाकर्ता ने मुख्य विकास

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दिनांक 16.04.2026 प्रस्तुत करके अपना उत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा था। ऐसे अनुरोध के अनुक्रम में, पत्र दिनांक 17.04.2026 के माध्यम से एक सप्ताह का और समय दिया गया था। कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्राप्त करने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ता ने अंततः दिनांक 27.04.2026 को अपना स्पष्ट और विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि 3 सदस्यीय समिति द्वारा संचालित उक्त जांच एकपक्षीय जांच थी और अधिरोपित वित्तीय शास्ति भी विधि के विपरीत थी।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आक्षेपित आदेश में प्रथम दृष्टया दो विधिक त्रुटियां हैं। प्रथमतः, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया क्योंकि आदेश दिनांक 15.05.2026 के साथ जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान नहीं की गई थी और द्वितीयतः, धारा 95(1) (जी) के अंतर्गत प्रारंभ की गई जांच का परिणाम केवल यह हो सकता है कि प्रधान यानी याचिकाकर्ता को हटाया जा सकता है या नहीं। जहाँ तक किसी वित्तीय शास्ति का संबंध है, अधिनियम, 1947 की धारा 27 के अंतर्गत उसके अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 256 और 257 के साथ पठित एक पृथक कार्यवाही संचालित की जानी निश्चित है, जो स्वीकृत रूप से वर्तमान प्रकरण में घटित नहीं हुई है।

8. राज्य-प्रत्युत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि नोटिस दिनांक 15.05.2026 के साथ जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि की आपूर्ति नहीं की गई थी और जांच के दौरान जो भी उत्तर प्रस्तुत किया गया था, उस पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ता जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुई थी और उसने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था परंतु उसे असंतोषजनक पाया गया। यद्यपि, विद्वान अपर महाधिवक्ता वित्तीय वसूली के आदेश की सीमा तक आक्षेपित आदेश का समर्थन करने में असमर्थ रहे क्योंकि इसे अधिनियम, 1947 की धारा 27 के अंतर्गत एक पृथक कार्यवाही के माध्यम से संचालित किया जाना निश्चित है, परंतु उसे निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया गया था।

9. मैंने उपर्युक्त कथनों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है।

10. यह ऐसा प्रकरण हो सकता है कि वर्तमान रिट याचिका में कुछ कथन विशिष्ट रूप से नहीं किए गए हैं, यद्यपि, न्यायालय फिर भी यह पाता है कि एक बार जब इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से प्रत्युत्तरदातागण को याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने के पश्चात औपचारिक जांच रिपोर्ट पर शीघ्रता से अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था, तो बाद के नोटिस दिनांक 17.04.2026 ने केवल सात दिनों का समय दिया है, जिसे किसी भी प्रकरण में उचित अवसर नहीं माना जा सकता है।

11. अन्यथा भी, न्यायालय पाता है कि जिस जांच रिपोर्ट पर आक्षेपित आदेश ने विश्वास किया है, वह आदेश दिनांक 18.12.2025 के माध्यम से संचालित पश्चातवर्ती जांच पर आधारित एक पश्चातवर्ती रिपोर्ट है, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 25.03.2026 को दाखिल की गई थी, इसलिए न्यायालय का यह मत है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था क्योंकि सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

12. रिपोर्ट नोटिस दिनांक 08.11.2025 के पश्चात् प्रस्तुत गई थी और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जांच रिपोर्ट दिनांक 25.03.2026 के पश्चात कोई नया नोटिस जारी किया गया था क्योंकि आक्षेपित आदेश में यह अंकित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को कोई नया नोटिस जारी किया गया था।

13. उपर्युक्त के आलोक में, आक्षेपित आदेश दिनांक 15.05.2026 अपास्त किया जाता है। मामले को संबंधित प्रत्युत्तरदाता को नया आदेश पारित करने के लिए प्रति-प्रेषित किया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास अब जांच रिपोर्ट दिनांक 25.03.2026 की प्रतिलिपि उपलब्ध है, इसलिए वह आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि संबंधित प्रत्युत्तरदाता विधि के अनुसार शीघ्रता से नया आदेश पारित कर सके। प्रत्युत्तरदातागण 'अधिभार' (सरचार्ज) अधिरोपित करने के लिए जांच को निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए स्वतंत्र होंगे, यद्यपि, यह कड़ाई से अधिनियम की धारा 27 और उसमें बनाए गए नियमावली 256 और 257 के निबंधनों के अंतर्गत ही रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि कार्यवाहियों में एक प्रक्रियात्मक त्रुटि थी, इसलिए न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोष में प्रवेश नहीं किया है, अर्थात् वित्तीय अनियमितताएं कारित की गई थीं या नहीं।

14. उपर्युक्त अवलोकनों, निर्देशों और स्वतंत्रता के साथ, वर्तमान रिट याचिका तदनुसार **निस्तारित की जाती है।**

(न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी)

14 अगस्त, 2026

एन. सिन्हा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।